प्रेस विज्ञप्ति

14.03.2024

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), नागपुर ने मेसर्स केबीसी मल्टीट्रेड प्राइवेट लिमिटेड और उनके प्रमोटर/निदेशकों के खिलाफ एक मामले में नासिक और ठाणे (महाराष्ट्र) में 8 आधिकारिक और आवासीय परिसरों में दिनांकः 08.03.2024 को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत तलाशी अभियान चलाया है। दिनांकः11.03.2024 को आनंद नगरी सहकारी पाटसंस्था मर्यादित में रखे गए संजय पंचारिया के बैंक लॉकर की भी तलाशी ली गई। समग्र तलाशी कार्रवाई के दौरान 62 करोड़ रुपये मूल्य की 20 संपत्तियों से संबंधित दस्तावेज जब्त किए गए और बैंक खाते में शेष (बैलेंस) राशि रुपये 16.6 करोड़, डीमैट खाते की शेष राशि रुपये 44.61 लाख और डाकघर में रुपये 5.56 लाख की बचत राशि पर धारा 17 (1ए) के तहत प्रतिबंध लगाया गया। इसके अलावा, 30.75 लाख रुपये के सोने और हीरे के आभूषणों की भी जब्ती की गई है। पीएमएलए, 2002 की धारा 17(1ए) के तहत 4 लॉकरों पर भी रोक लगा दी गई है, जिनके बारे में यह विश्वास है कि उनमें अपराध की आय का भंडारण है।

ईडी ने मेसर्स केबीसी मल्टीट्रेड प्राइवेट लिमिटेड और इसके प्रमोटरों, बापू छब्बू चव्हाण, भाऊसाहेब छब्बू चव्हाण और आरती भाऊसाहेब चव्हाण के खिलाफ आईपीसी, 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत परबनी, नासिक और महाराष्ट्र के अन्य जिलों में महाराष्ट्र पुलिस द्वारा दर्ज कई प्राथमिकियों (एफआईआर) के आधार पर जाँच शुरू की। चव्हाण परिवार ने सह-आरोपी कंपनी के प्रमुख एजेंटों के साथ मिलकर मेसर्स केबीसी मल्टीट्रेड प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स केबीसी क्लब एंड रिसॉर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के तत्वावधान में जनता को उनके निवेश पर आकर्षक रिफंड देने का वादा करने वाली एमएलएम (मल्टीलेवल मार्केटिंग) योजना के माध्यम से लोगों को लुभाने की साजिश रची और जनता से 200 करोड़ रुपये से अधिक की ठगी की।

ईडी की जाँच से पता चला कि आम जनता को बाइनरी और मैट्रिक्स कमीशन एवं अवार्ड तथा पुरस्कार और उत्पाद उपहार के वादे के साथ मेसर्स केबीसी मल्टीट्रेड प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स केबीसी क्लब एंड रिसॉर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रचारित विभिन्न पैकेजों/योजनाओं के तहत शुल्क के भुगतान पर सदस्य के रूप में सदस्यता दी गई थी। आयोग सभी सदस्यों पर अधिक सदस्यों को नामांकित करने के लिए बाध्य था, क्योंकि एकत्र की गई सदस्यता राशि का एक हिस्सा पिरामिड के शीर्ष पर सदस्यों के बीच वितरित किया गया था। सदस्यों को निवेश के लिए प्रोत्साहित किया गया और ऐसे कमीशन का लालच दिया गया जबकि, कंपनी की कोई वास्तविक अंतर्निहित व्यावसायिक गतिविधि थी ही नहीं।

जाँच के दौरान, यह भी पता चला कि मेसर्स केबीसी मल्टीट्रेड प्राइवेट लिमिटेड के निदेशकों/प्रमोटरों, बापू छब्बू चव्हाण, भाऊसाहेब छब्बू चव्हाण और आरती भाऊसाहेब चव्हाण और अन्य सह-अभियुक्तों ने जनता से एकत्र की गई सदस्यता शुल्क का उपयोग अचल संपत्ति, सोने के आभूषण लेने, शेयरों में निवेश आदि करने के लिए किया। अचल संपत्तियाँ उनके स्वयं के नाम पर, साथ ही उनके रिश्तेदारों के नाम पर बेनामीदार के रूप में रखी गई थी।

आगे की जाँच प्रक्रियाधीन है।